न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 435/17 (धारा 75 भू राज0भू अधि0 1956) (RCMS No.2017/00461)

मोहनसिंह पुत्र केशरसिंह जाति ठाकुर निवासी खानखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. निरंजन
2. हरीसिंह — पुत्रान
3. सोहनलाल
4. भागचन्द
5. उगन्ती — पुत्रीयान
6. सौनदेई
7. सुफेदी

रव0 प्रभु जाति ब्राहमण निवासी खानखेडा तहसील बयानाजिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 13.6.2017 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 548 दिनांक 6.1.1971 ग्राम पंचायत खानखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री दुलीचंद शर्मा वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 29.11.2023

उक्त प्रथम अपील एल.आर.एक्ट की धारा 75 के तहत तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 13.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि तहसीलदार बयाना की ओर से उपखण्ड अधिकारी बयाना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2016 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 548 दिनांक 06.11.1971 को निरस्त किया जाकर रिमाण्ड किया गया था, के परिप्रेक्ष्य में आदेश दिनांक 13.06.2017 पारित किया गया है। जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 548 निरस्त कर मृतक प्रभु पुत्र चौथी कौम ब्राहम्ण की विरासत का नामान्तकरण हरि, सोहनलाल, भागचंद, निरंजन पिसरान प्रभु व उगन्ती, सोनदेई, सुफेदी पुत्रीयान प्रभु के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया है, के विरूद्ध उक्त अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से श्री दीपक शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए। वक्त बहस रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषकगण ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.06.2017 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत मातहत ने

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित सम्पत्ति का अपीलान्ट सन् 1978 से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, क्योंकि रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 ने उक्त सम्पत्ति दिनांक 10.11.78 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र अपीलान्ट को विकय कर दी थी। इस आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 769 दिनांक 05.01.79 स्वीकृत हो गया था तथा अपीलान्ट की राजस्व रिकार्ड में खातेदारी भी दर्ज हो गई थी। मौके पर वयनामा की दिनांक से काबिज होकर अपीलान्ट के काश्त कर रहे होने के कारण नामान्तकरण संख्या 548 प्रभावहीन हो गया था। इसलिए 46 वर्ष बाद उक्त नामान्तकरण के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 5 लगायत 7 ने अपने हकों को तय कराने हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद सन् 2010 में पेश कर दिया था तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वयनामा निरस्त कराने हेतु दावा सिविल कोर्ट में पेश किया था। ऐसी स्थिति में नामान्तकरण संबंधी संक्षिप्त कार्यवाही में उक्त नियमित दावों के रहते अलग से कार्यवाही किया जाना गलत था। इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से पारित आदेश दिनांक 22.07.2016 के विरूद्ध भी पृथक से अपील पेश की हुई है। अपील पेश होने के बाद रिमाण्ड के आधार पर की गई कार्यवाही अवैधानिक है, क्योंकि उपखण्ड अधिकारी की ओर से पारित आदेश सबज्यूडिस होने के कारण उक्त आदेश के आधार पर पारित किया गया आदेश उचित नहीं कहा जा सकता। चूंकि अपीलान्ट विवादित भूमि के सन् 1978 से खातेदार दर्ज हैं। रैस्पोडेन्ट ने मिलकर एक–दूसरे के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करते हुए विवादित भूमि जिसके संबंध में रैस्पोडेन्ट को राजीनामा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, के बारे में राजीनामा कर प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी बयाना से रिमाण्ड करा लिया, जो कि गलत है, क्योंकि अपीलान्ट विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। रैस्पोडेन्ट की ओर से सारी कार्यवाही अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना उसके बैक में करवाई गई है तथा अदालत मातहत द्वारा भी अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व न तो राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया और न ही अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान किया। वरन् रैस्पोडेन्ट की ओर से किये गये राजीनामे के आधार पर ही विवादित भूमि को मृतक खातेदार प्रभु के वारिसान के नाम खोले जाने का आदेश अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.06.2017 के द्वारा दिया गया है, जो कि अवैध व शून्य प्रभाव लिए हुए है, क्योंकि नामान्तकरण संख्या 548 का प्रभाव 1978 में ही समाप्त हो चुका था। जब विवादित भूमि के विकय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण खोला जाकर खातेदारी दर्ज की गई थी। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.06.2017 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में तहसीलदार बयाना की ओर से उपखण्ड अधिकारी बयाना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2016 के कम में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.06.2017 को

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

28.11.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पारित किया गया है। जिसमें नामान्तकरण संख्या 548 निरस्त कर मृतक प्रभु पुत्र चौथी कौम ब्राहाम्ण की विरासत का नामान्तकरण हरि, सोहनलाल, भागचंद, निरंजन पिसरान प्रभु व उगन्ती, सोनदेई, सुफेदी पुत्रीयान प्रभु वहिस्सा बराबर कौम ब्राहाम्ण साकिन खानखेड़ा के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार बयाना को निर्णय दिनांक 22.07.2016 में यह निर्देश दिये गये थे कि मृतक प्रभु के वारिसान की जांच कर नियमानुसार विरासत दाखिल खारिज करने की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार द्वारा मौका पर्चा व ग्राम पंचायत की ओर से जारी वारिस प्रमाण पत्र को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जबकि उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया जाना भी आवश्यक था तथा विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार को आदेश पारित किये जाने से पूर्व सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया जाना आवश्यक था। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 13.06.2017 में भी यह उल्लेख किया गया है कि नामान्तकरण संख्या 548 जो कि सैटलमेन्ट से पूर्व का होने के कारण उक्त नामान्तकरण निरस्तीकरण की प्रकिया तहसीलदार के कार्यालय से निस्तारण कराने की कार्यवाही करें, क्योंकि उक्त नामान्तकरण संबंधी कोई रिकार्ड उनके पास नहीं है। इसी प्रकार नामान्तकरण संख्या 548 के निरस्तीकरण के बाद नामान्तकरण दर्ज हेतु मृतक प्रभु ब्राहाम्ण से संबंधित खसरा नंबरों का विवरण उपलब्ध करावें। ताकि विरासत नामान्तकरण की प्रकिया अमल में लाई जा सके। इस रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि तहसीलदार बयाना द्वारा बिना किसी जांच के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.06.2017 को पारित किया गया है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि जिस भूमि के संबंध में तहसीलदार द्वारा मृतक प्रभु के वारिसान के नाम नामान्तकरण खोले जाने का आदेश दिया गया है। उस भूमि को मृतक प्रभु के वारिसान द्वारा दिनांक 10.11.78 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट को विक्रय कर दी गई थी तथा वर्तमान में विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार अपीलान्ट है। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 22.07.2016 जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, को अदालत हाजा में प्रस्तुत एक अन्य अपील में निरस्त किया जा चुका है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में भी अपीलाधीन निर्णय उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.06.2017 निरस्त किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.11.2023

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर